प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2016**

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगनीति 2012 का कार्यान्वयन योजना के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि रू0-392 हजार की व्यवस्था किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-270-71/बजट-आयोजनागत/2015-16 दिनांक 07.01.2016 के सन्दर्भ में एवं शासन के पुर्नविनियोग संख्या-आर0ई0-497/ई-1/दस-2016, दिनांक-10.03.2016 पृष्ठांकन संख्या-87/58-2-2016-300(28)/2016 दिनांक 18.03.2016 की छाया प्रति संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा लेखाशीर्षक 2401-119-04-0411 के अन्तर्गत निम्नलिखित मदों हेतु पुर्नविनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि रू0-392 हजार (रूपया तीन लाख बानबे हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0-342 हजार (रूपया तीन लाख ब्यालिस हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

अनुदान सं0	लेखाशीर्षक/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
10	2401-फसल कृषि कर्म- 119- बागवानी तथा वनस्पति की फसलें 04- फल 0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का कार्यान्वयन		
	04-यात्र व्यय	10	10
	08-कार्यालय व्यय	80	80
	11-लेखन सामग्री	15	15
	15-मोटर गाड़ी का अनुरक्षण	137	137
	16-व्यवसायिक सेवायें	95	95
	20-सहायता अनुदान	0	0
	42-अन्य व्यय	50	0
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण	5	5
	योग-	**392**	**342**

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा। विचलन की स्थिति में इसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक/आहरण वितरण अधिकारी एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। इसके लिए संबंधित अधिकारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

3- भण्डार क्रय नियमों/वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहां आवश्यक होगा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

5- व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उक्त मद में कोई धनराशि बचती है तो उसे शासन को यथासमय समर्पित किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि को पुर्नविनियोग के निर्धारित प्रपत्र सं0 बी0एम0-9 पर संलग्नक के अनुसार वित्त विभाग की सहमति से व्यवस्थित की गयी है।

7- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

<u>संलग्नक-यथोक्त</u>

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या-19/2016/269(1)/58-2-2016, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 को तीन प्रतियों में।
5- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1
6- मुख्य वित्त नियन्त्रक/ आहरण वितरण अधिकारी निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in